रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2420] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2013/आश्विन 23, 1935
No. 2420] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2013/ASVINA 23, 1935

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2013

का.आ.3113(अ).— अधिसूचना सं.का.आ. 1519(अ), दिनांक 23.8.2007 को छ: महीने की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जी एम संसाधित खाद्यों के विनियम के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो पहले हो, आस्थगित रखा जाता है ।

[फा.सं. 13/16/2007-सीएस- III]

हेम पाण्डे, अपर सचिव

टिप्पणी:- परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की सं. सा.का.नि. 1037 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की का.आ. 677 (अ) की अधिसूचना के तहत लागू हुई और बाद में दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सा.का.नि. 493 (अ); दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सा.का.नि. 616 (अ); दिनांक 23.08.2007 की का.आ. 1519 (अ); दिनांक 25.2.2008 की का.आ. 411 (अ); दिनांक 3.10.2008 की का.आ. 2519(अ); दिनांक 17.3.2009 की का.आ. 800 (अ); दिनांक 9.11.2009 की का.आ. 2884 (अ); दिनांक 5.4.2010 की का.आ. 828 (अ); दिनांक 4.10.2010 की का.आ. 2478(अ); दिनांक 30.9.2011 की का.आ. 2312(अ), दिनांक 26.09.2012 की का.आ. 2303(अ), दिनांक 05.04.2013 की का.आ. 953(अ) की अधिसूचनाओं के तहत इसमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2013

S.O. 3113 (E).—Notification No. S.O.1519(E) dated 23rd August, 2007 is kept in abeyance for a period of six month i.e. upto 31st March, 2014 or until issue of further notification by the Ministry of Health & Family Welfare regarding regulation of GM processed foods by the Food Safety and Standards Authority, whichever is earlier.

[F.No.13/16/2007-CS-III]

HEM PANDE, Addl. Secy.

Note: -The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India. Extraordinary, vide No.GSR 1037(E), dated the 5th December, 1989, which came into force *vide* notification S.O. 677(E), dated the 13th September, 1993, and subsequently were amended vide notification numbers G.S.R. 493 (E) , dated the 14th July, 2005, GSR 616 (E), dated the 20th September 2006, S.O.1519(E), dated 23.08.2007, S.O 411 (E), dated 25.2.2008, S.O.2519 (E), dated 3.10.2008, S.O.800 (E), dated 17.3.2009, S.O.2884 (E), dated 9.11.2009, S.O.828 (E), dated 5.4.2010, S.O.2478 (E), dated 4.10.2010, S.O. 2312(E), dated 30.9.2011, S.O. 2303 (E) dated 26.09.2012, S.O. 953 (E), dated 5.4.2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.